केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली -- 110029

याचिका सं. 489/टीएल/2024 दिनांक: 24.02.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड जम खम्भालिया ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसे इसके पश्चात् "परियोजना" कहा गया है) पर "जम खम्भालिया पीएस (जीआईएस) पर रूपांतरण क्षमता के संवर्धन" के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	परियोजना के घटक की अनुसूचित सीओडी पर वसूली योग्य कोटेड पारेषण प्रभारों की प्रतिशतता	वे घटक जो संबंधित घटक के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित हैं
1.	जम खम्भालिया पीएस पर नए 220 केवी बस सेक्शन–II का निर्माण	21 मास (15.07.2026)	7.66	क्र.सं. 1 पर घटक को पृथक रूप से कमीशन किया जा सकता है।
2.	जम खम्भालिया पीएस (जीआईएस) पर 2x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (पांचवां और छठा)(नए 220 केवी बस सेक्शन–II पर समाप्त) से रूपांतरण क्षमता का संवर्धन	21 मास (15.07.2026)	26.53	क्र.सं.2 पर घटक के लिए, क्र.सं. 1 पर घटक पूर्वापेक्षित है।
3.	जम खम्भालिया पीएस (जीआईएस) पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (सातवां)(नए 220 केवी बस सेक्शन–II पर समाप्त) से रूपांतरण क्षमता का संवर्धन	14.10.2026#	13.27	क्र.सं.3 पर घटक के लिए, क्र.सं. 1 पर घटक पूर्वापेक्षित है। क्र.सं. 3 पर घटक को आईसीटी (सातवां) के लिए जम खम्भालिया पीएस पर 400 केवी बे की कमीशनिंग के अध्यधीन पृथक रूप से कमीशन किया जा सकता है। (नोट–2 का संदर्भ लें)
4क.	नए 220 केवी बस सेक्शन–II पर आरई परियोजनाओं के लिए जम खम्भालिया पीएस पर 220 केवी जीआईएस लाइन बे का कार्यान्वयन (एसीएमई सन पावर प्रा. लि. के लिए 1 नं. और माउंटिंग (एमआरपीएल) के लिए 1 नं.)	शेष कार्य प्रदान किए जाने की तारीख से 21 मास की न्यूनतम अनुसूची के अध्यधीन एमआरपीएल बे: 21 मास (15/07/2026) एसीएमई बे: 21 मास जुनिपर बे: जून–27	3.83	क्र.सं. 1 और 2 पर घटक पूर्वापेक्षित हैं
4ख.	नए 220 केवी बस सेक्शन–II पर आरई परियोजनाओं के लिए जम खम्भालिया पीएस पर 220 केवी जीआईएस लाइन बे का कार्यान्वयन (जुनिपर ग्रीन एनर्जी प्रा. लि. के लिए 1 नं.)	शेष कार्य प्रदान किए जाने की तारीख से 21 मास की न्यूनतम अनुसूची के अध्यधीन जून–27	3.83	क्र.सं. 1 और 2 पर घटक पूर्वापेक्षित हैं
5.	जम खम्भालिया पीएस (सेक्शन III) पर नए 220 केवी बस सेक्शन का निर्माण	21 मास (15.07.2026)	7.66	क्र.सं. 5 से 8 पर घटकों का एक साथ कमीशन किया जाना अपेक्षित है चूंकि उनका उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है [आईसीटी (आठवां) के लिए जम खम्भालिया पीएस पर 400केवी बे की कमीशनिंग के अधीन(नोट–2 का संदर्भ लें)]
6.	जम खम्भालिया पीएस (जीआईएस) पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (आठवां)(नए 220 केवी बस सेक्शन–III पर समाप्त) से रूपांतरण क्षमता का संवर्धन	14.10.2026#	13.27	
7.	जम खम्भालिया पीएस (जीआईएस) पर 1x500 एमवीए, 400/220 केवी (नौवां) आईसीटी से रूपांतरण क्षमता का संवर्धन नए 220 केवी बस सेक्शन–III पर समाप्त	21 मास (15.07.2026)	18.84	
8.	कुवाडिया 220 केवी डी/सी लाइन के लिए जम खम्भालिया पीएस पर 220 केवी जीआईएस लाइन बे का कार्यान्वयन	21 मास (15.07.2026)	5.11	

नोट 1:
वर्तमान दायरे के अधीन 2x500 एमवीए आईसीटी की समाप्ति '2' पृथक डाया में होगी जिसे 400 केवी जानी खंभालिया–जामनगर डाई लाइन की समाप्ति के लिए आरआईएल हेतु पावरग्रिड द्वारा विकसित किया जा रहा है। टीएसपी, यथापेक्षित संबद्ध उपकरण के साथ 400 केवी जम खम्भालिया पीएस [लंबाई लगभग 350 मीटर है (वास्तविक लंबाई अंतिम लेआउट के बाद तय की जाएगी)] पर आईएसटीएस एवं 6 के अंतरसंयोजन के लिए अपेक्षित 400 केवी साइड जीआईएस डक्ट कार्यान्वित करेगा।

नोट–2:
जाम खंभालिया पीएस पर 400केवी बे के एससीओडी के साथ मिलान ("जामनगर क्षेत्र में फेस–I के अधीन लगभग 3.6 जीडब्ल्यू भार के आहरण के लिए गुजरात में नेटवर्क विस्तार योजना" के अधीन कार्यान्वित किया जा रहा है, जो वर्तमान में निविदा के अधीन है) और 21 महीने की न्यूनतम कार्यान्वयन अनुसूची के अध्यधीन है।

नोट–3:
पूर्ववर्ती अनुसूची को मार्च–26 के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था, जो शेष कार्य प्रदान किए जाने की तारीख से 21 मास की न्यूनतम अनुसूची के अध्यधीन था। तथापि, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, 21 मास की अनुसूची सीधे विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

जम खंभालिया पीएस पर 400केवी बे के एससीओडी के साथ मिलान ("जामनगर क्षेत्र में फेस–I के अधीन लगभग 3.6 जीडब्ल्यू भार के आहरण के लिए गुजरात में नेटवर्क विस्तार योजना" (14.10.2026)।"

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 11.11.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 489/टीएल/2024 में दिनांक 21.2.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. **पावरग्रिड जम खम्भालिया ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **7.3.2025** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **11.3.2025** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव